



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

संदर्भ आरबीएसबी सं. /Ref.RBSB.No. 824 / 02.03.02 / 2013-14
ई-मेल द्वारा /By E-Mail

दिनांक /Date: 28-JAN-2014

To,
YASHPAL MEENA
203 - 1G-1 JIA SARAI NEAR IIT
DELHI NEW DELHI DELHI 110016

महोदय /Dear Sir
भर्ती /Recruitment for OFFICER IN GRADE 'B' (GENERAL) - DR-PHASE-II
रोल नं. /Roll No. 2703000221 पंजीकरण सं. /Registration No. 332597

उपर्युक्त पद के लिए आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में हम सूचित करते हैं कि यह अपेक्षित है कि आप बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए निम्नानुसार उपस्थित हों :
With reference to your application for the above post, we advise that you are required to attend an Interview before the Board as detailed below:

दिनांक /Date : 04/Apr/2014
समय /Time : 09:00 AM
स्थान /Venue : RESERVE BANK OF INDIA
6, SANSAD MARG NEW DELHI-
110001

1. कृपया नोट करें कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से आपके नाम को इस संबंध में हमारे विज्ञापन के उत्तर में आपके आवेदन पत्र में प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर चुना गया है। कृपया नीचे पैरा 3 में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

Please note that your name has been short-listed from among the candidates who have applied, purely on the basis of particulars furnished by you in your application in response to our Advertisement issued in this regard. Please go through carefully the instructions contained in paragraph 3 below.

Contd....

<p style="text-align: center;">भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक भवन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400008, टेलीफोन: 2308 4121 फैक्स: 022 2307 4415 ई-मेल rbisb@rbi.org.in</p>
<p style="text-align: center;">Reserve Bank Of India Services Board, Reserve Bank of India Building, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai - 400 008. Telephone : 2308 4121, FAX - 022 2307 4415, e-mail : rbisb@rbi.org.in हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बड़ा है।</p>
<p>चेतावनी: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन-कॉल के जरिये किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए। Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, Passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.</p>

2. अनुरोध है कि यह पत्र अपने साथ लाएं (इसे डाउनलोड करने के बाद) तथा बोर्ड के अधिकारी को रिपोर्ट करें और उनके पास रखे उपस्थिति पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें। हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि आप अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति (अजा/अजजा/अपिब आदि) तथा विकलांगता के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाणपत्रों आदि की मूल प्रतियां साथ लाएं।

We request you to kindly bring this letter with you (after downloading the same) and report to the Board's officials and sign the attendance sheet kept with him/her. We also request you to bring with you the following certificates etc, in original in support of your date of birth, educational qualifications , experience, caste (SC/ST/OBC etc.) and PWD status.

- (i) जन्म तिथि : मैट्रिक या एस.एस.सी. परीक्षा का प्रमाणपत्र और यदि यह उपलब्ध न हो तो (क) जन्म रजिस्टर से उद्धरण या (ख) जिस विद्यालय या महाविद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त की थी, उस विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य से प्राप्त प्रमाणपत्र। (टिप्पणी : जिन उम्मीदवारों की जन्म तिथि ईसवी सन में रिकार्ड नहीं की गयी है, उन्हें शैक्षिक प्राधिकरण से प्राप्त ऐसा प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए, जिसमें ईसवी सन में तदनुसूची तिथि दी गयी हो)।

Date of Birth: Matriculation or SSC Examination Certificate and if this is not available (a) an extract from the birth register or (b) a certificate from the Head Master or the Principal of the School or College where you had undergone your School or College Education. (Note: Candidates whose date of birth is recorded other than in Christian Era must attach a certificate from the Educational Authorities furnishing the corresponding date in Christian Era).

- (ii) शैक्षणिक अर्हताएं : परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के संबंध में विश्वविद्यालय/संस्थान के रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया/किए गए प्रमाणपत्र (मैट्रिकुलेशन/एस.एस.सी परीक्षा से आगे)

Educational Qualifications : Certificate/ s issued by the Registrar or any authorized officer of the University/Institution regarding the examinations passed (from Matriculation/SSC Examination onwards).

- (iii) अनुभव : (क) नियोक्ता/ओं द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें आवेदनकर्ता का नाम, पद, पद से संबंधित कार्य का स्वरूप, सेवा की अवधि जिसमें कार्यग्रहण की तारीख/परिवीक्षा अवधि, यदि हो, के ब्यौरे/पद से मुक्ति की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शायी गई हो।

(ख) वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र।

Experience:(a)Certificates from the Employer/s indicating the full details of your service such as your name, post held, nature of duties attached to the post and length of service indicating clearly the date of joining / details of Probationary period, if any/date of leaving the service .

(b) No Objection Certificate from the present employer.

- (iv) जाति प्रमाणपत्र : संलग्न फॉर्म में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया मूल नवीनतम जाति प्रमाणपत्र।

Caste Certificate:Original Latest Caste Certificate issued by the Competent Authority in enclosed form.

3. कृपया नोट करें कि आप केवल अनन्तिम आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं और यदि मूल दस्तावेजों के सत्यापन पर या अन्यथा यह पाया गया कि आप संबंधित विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूर्णतया पूरा नहीं करते हैं और/या आपके आवेदन में दी गयी कोई जानकारी सही नहीं है/आप उपर्युक्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करते हैं और इन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में बोर्ड को कोई उचित स्पष्टीकरण देने में भी असमर्थ हैं, जिससे बोर्ड संतुष्ट हो, तो बोर्ड आपका साक्षात्कार नहीं लेगा और उस मामले में आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए कृपया निम्नलिखित पैरा 4 में दिए गए अनुदेश देखें। उम्मीदवार की पात्रता, किस स्तर पर पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की जांच करनी है, उस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज, साक्षात्कार लेना तथा इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।

Please note that you have been called for interview purely on a provisional basis and if on verification of original documents or otherwise it is found that you do not strictly satisfy the prescribed eligibility criteria as laid down in the relative advertisement and/or any information furnished in your application is not true/you are not in a position to produce the Certificates /documents mentioned above and are also unable to give proper explanation to the satisfaction of the Board for non-submission thereof, you may not be entertained for interview by the Board and in that event no travelling allowance may be paid to you. For reimbursement of travelling allowance, kindly see the instructions contained in paragraph 4 below. The decision of the Board in all matters regarding the eligibility of the candidates, the stage at which the scrutiny of eligibility requirement is to be undertaken, the documents to be provided for the purpose, the conduct of interview and any other matter relating to this recruitment will be final and binding on the candidates.

Contd....

4. बोर्ड साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीदवार के खान-पान / रहने की व्यवस्था नहीं करता है। तथापि आपको आपके निवास स्थान (आपके आवेदन में आपके द्वारा दिए गए पते में दर्शाए गए स्थान के अनुसार) / कार्य के स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से न्यूनतम दूरी वाले रास्ते से साक्षात्कार के स्थान तक आने और वापस जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए प्रथम श्रेणी (गैर-वातानुकूलित) / द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित (राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर) रेलवे किराये या वास्तविक रूप से भुगतान किए गए / दिए जाने वाले किराये, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवक (इन्चर्ड) यात्रा के लिए आपको आपके यात्रा भत्ते बिल में अपने दावे के समर्थन में नकदी रसीद / टिकट / टिकट नंबर (यदि टिकट पहले सौंप दिये गये हों) प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो सवारी गाड़ी के निम्नतम श्रेणी के रेल किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि आपके निवास स्थान/तैनाती के स्थान और साक्षात्कार के स्थान के बीच कोई रेल संपर्क नहीं है तो आपको आवक यात्रा के लिए बस टिकट प्रस्तुत करने पर आपके निवास स्थान / तैनाती के स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक न्यूनतम दूरी वाले मार्ग द्वारा आने और जाने के लिए वास्तविक रूप में भुगतान किए गए/दिए जाने वाले बस के किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आपके साक्षात्कार के संबंध में बैंक द्वारा किसी भी अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। साथ ही, यदि आपका निवास स्थान / तैनाती का स्थान और साक्षात्कार का स्थान एक ही नगर सीमा के अंतर्गत है तो कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपका यात्रा भत्ता बिल (जो साक्षात्कार के दिन आपको दिए जाने वाले निर्धारित फार्म में प्रस्तुत किया जाना है) उपर्युक्त आधार पर साक्षात्कार की तारीख को ही निपटाया जाएगा। आप अपने साक्षात्कार की समाप्ति के बाद विधिवत रूप से भरे बिल फार्म पर अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए बोर्ड के अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लें।

The Board does not make any arrangements for boarding/ lodging of the candidate called for interview. You will, however be reimbursed single First Class (non-A.C)/II A.C. railway fare (other than Rajdhani/Shatabdhi Express) or the actual fare paid / to be paid, whichever is less, by shortest route from nearest rail link to the place of your residence (as indicated in the address furnished by you in your application)/place of work to the place of interview (whichever is nearer) and back. For the inward journey, you have to produce money receipt/ tickets or indicate the ticket number (if tickets have already been surrendered) in your travelling allowance bill in support of your claim. If no such evidence is produced, train fare by the lowest class by passenger train may only be reimbursed. In case there is no rail link between the place of your residence /posting to the place of interview, you will be reimbursed bus fare actually paid / to be paid by the shortest route from your place of residence / posting to the place of interview and back on production of bus ticket for the inward journey. No other expenses will be reimbursed or any other allowance paid by the Bank in connection with your interview. No travelling allowance is payable, if your place of residence/posting and the place of interview is within the same municipal limit. Your travelling allowance bill (to be submitted in prescribed form which will be supplied to you on the date of interview) will be settled on the date of interview itself on the above basis. After your interview is over, you should positively obtain the necessary authorization from the Board's official on the bill form duly completed by you for necessary further action.

5. कृपया नोट करें कि बोर्ड साक्षात्कार के लिए किसी वैकल्पिक तिथि/स्थान के आपके अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

Please note that the Board will not entertain any request for an alternative date / place of interview.

6. यदि आप साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो रहें हो तो आप स्पीड पोस्ट/कूरियर के जरिये निम्नलिखित फार्मों (जिनके फार्मेट बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं) की हार्डकॉपी विधिवत रूप से भरकर अविलंब तथा किसी भी प्रकार से इस ई-मेल की तारीख से पांच दिनों के भीतर भेजें।

We advise that in case you are appearing for the interview, you may kindly forward the following forms (formats of which are available on the Bank's website i.e. www.rbi.org.in) duly completed, by Speed Post/Courier immediately and in any case not later than five days from the date of this E-mail.

- i) फार्म में उल्लेख किए गए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित ऐटेस्टेशन फार्म की 5 प्रतियां (सभी फार्म मूल रूप में)।
Five copies of the Attestation Forms (all in original) attested by an authorized official stated therein.
- ii) बायोडेटा फार्म की 6 प्रतियां (इनमें से केवल एक फार्म पर पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाया जाए)।
Six copies of Bio-data forms (only one copy thereof may be affixed with the latest Passport size photograph)
- iii) उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्रमाणपत्रों की प्रतियों का एक सेट।
One set of copies of the certificates referred to in paragraph 2 above.

Contd....

7. यदि उपर्युक्त दस्तावेज सात दिनों के भीतर बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए, तो यह मान लिया जाएगा कि आप साक्षात्कार के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे और तदनुसार बोर्ड अपने विवेकानुसार, आपको कोई और निर्देश दिए बिना साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची में से आपका नाम काट देगा ।

If we do not receive documents indicated above within seven days from the date of this E-mail , it will be presumed that you will not be appearing before the Board for the interview and accordingly the Board may, at its discretion, delete your name from the list of candidates called for interview without any further reference to you.

8. इस विषय में सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर बोर्ड के महाप्रबंधक को संबोधित करते हुए करें ।

All correspondence on the subject should be addressed to the General Manager of the Board at the following address:

भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड / Reserve Bank of India Services Board,
भारतीय रिजर्व बैंक भवन, तीसरा तल / Reserve Bank of India Bldg., 3rd Floor
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने / Opp.Mumbai Central Railway Station
भायखला / Byculla
मुंबई - 400 008 / Mumbai-400 008

भवदीय / Yours faithfully,

Sd/ -

प्रबंधक / Manager

सहायक महाप्रबंधक / Assistant General Manager